

## विद्या सम्बल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु संस्था-प्रधान द्वारा दिए जाने वाले पत्र का प्रारूप

श्री/ श्रीमति/ सुश्री.....  
पता:-.....

विषय:- विद्या सम्बल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने के संबंध में

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक: प 6(2) वित्त/साविलेनि/2021 जयपुर दिनांक 30.03.2021 के अनुसार “विद्या सम्बल योजना” के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में आप श्री/ श्रीमति/ सुश्री.....पुत्र/पुत्री श्री.....को विद्यालय ..... में पद ..... विषय ..... के रिक्त पद पर पूर्णतः अस्थाई रूप से लगाया जाता है।

गेस्ट फैकल्टी के रूप में आपको निम्नांकित शर्तों के अधीन लगाया जाकर निर्देशित किया जाता है कि आप दिनांक.....को ..... बजे विद्यालय में उपस्थित होकर गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य प्रारम्भ करें :-

1. आप अव्वल समय पर अपना पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र, दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छाया प्रतियाँ व संलग्न प्रारूप में मूल शपथ पत्र संलग्न कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें।
2. दस्तावेज सत्यापन हेतु मूल दस्तावेज साथ लेकर आएं।
3. निर्धारित अंतिम तिथि तक कार्य हेतु उपस्थित नहीं होने की स्थिति में यह प्रस्ताव आपकी अस्वीकृति मानते हुए समाप्त कर दिया जाएगा।
4. गेस्ट फैकल्टी के रूप में आपको प्रतिघंटा..... मानदैय देय होगा, जो अधिकतम..... मासिक से अधिक देय नहीं होगा।
5. रिक्त पद पर नियमित प्रक्रिया से शिक्षक की नियुक्ति हो जाने अथवा सत्रांत तक, जो भी पहले हो, के साथ ही उसे निरस्त समझा जाएगा।

प्राचार्य

47